

दैनिक समसामयिकी विश्लेषण

समय: 45 मिनट

दिनांक: 22-01-2026

विषय सूची

भारत द्वारा स्वदेशी लाइट वाटर रिएक्टर (LWR) को परमाणु प्राथमिकता घोषित निःशुल्क लाभ योजनाएँ (Freebies) हाशिए पर स्थित वर्गों के कल्याण में निवेश से भिन्न हैं : सर्वोच्च न्यायालय ताइवान के आसपास चीन का सैन्य अभ्यास एवं भारत के सामरिक हित सीमा बाड़ से संबंधित मुद्दा एवं किसानों की चिंताएँ बॉम्बे उच्च न्यायालय द्वारा वयस्क मानव तस्करी पीड़िता की निरोधात्मक कार्रवाई निरस्त सीमेंट, एल्यूमिनियम और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (MSME) क्षेत्रों में हरित संक्रमण पर नीति आयोग की रिपोर्ट

संक्षिप्त समाचार

गोल्डीलॉक्स अर्थव्यवस्था

राज्यपाल का सदन को संबोधित करने और संदेश भेजने का अधिकार

गाज़ा के लिए शांति बोर्ड

कैबिनेट द्वारा अटल पेंशन योजना (APY) के निरंतरता को स्वीकृति प्रदान

कलाड़ी को उन्नत खाद्य प्रौद्योगिकियों के माध्यम से विकसित किया जाएगा

जापान द्वारा काशिवाजाकी-कारिवा परमाणु ऊर्जा संयंत्र पुनः प्रारंभ

C-295 विमान

मोज़ाम्बिक की अधिकार कार्यकर्ता को इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार

इज़राइल द्वारा वेस्ट बैंक चौकी नए बस्ती के रूप में पूर्णतः वैध

तांत्या मामा भील

भारत द्वारा स्वदेशी लाइट वाटर रिएक्टर (LWR) को परमाणु प्राथमिकता घोषित

पाठ्यक्रम: GS3/ऊर्जा

संदर्भ

- जैसे ही भारत अपने परमाणु ऊर्जा क्षेत्र को निजी खिलाड़ियों के लिए खोल रहा है और निर्यात अवसरों की खोज कर रहा है, परमाणु प्रतिष्ठान ने स्वदेशी लाइट वाटर रिएक्टर (LWR) के निर्माण को शीघ्रता से आगे बढ़ाने की आवश्यकता पर बल दिया है।

लाइट वाटर रिएक्टर

- लाइट वाटर रिएक्टर वैश्विक परमाणु कार्यक्रम का मुख्य आधार हैं और वर्तमान में विश्व की नागरिक परमाणु रिएक्टर क्षमता का 85% से अधिक हिस्सा रखते हैं।
 - ये साधारण (लाइट) जल का उपयोग शीतलक और न्यूट्रॉन मॉडरेटर दोनों के रूप में करते हैं।
- LWR का डिज़ाइन और अभियांत्रिकी भारी जल रिएक्टरों की तुलना में सरल होती है क्योंकि इनमें सामान्य जल का उपयोग शीतलक और मॉडरेटर दोनों के रूप में किया जाता है।
- कम लागत:** निर्माण लागत सामान्यतः कम होती है क्योंकि LWR वैश्विक परमाणु क्षमता का बड़ा हिस्सा बनाते हैं और इन्हें अधिक ऊष्मीय दक्ष माना जाता है।

भारत के लिए LWR की आवश्यकता

- आयात में लाभ:** स्वदेशी LWR का होना, वर्तमान प्रेसराइज्ड हेवी वाटर रिएक्टर (PHWR) बेडे के साथ, भारत की विदेशी विक्रेताओं से बेहतर शर्तों पर आयात सुनिश्चित करने की क्षमता को बढ़ाएगा।
- वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला:** LWR अंतर्राष्ट्रीय रिएक्टर बाजार का अधिकांश हिस्सा हैं, और भारतीय कंपनियों को वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में शामिल किए बिना निर्यात क्षेत्र में सफलता पाना कठिन होगा।
- शांति अधिनियम:** शांति अधिनियम द्वारा किए गए कानूनी परिवर्तन वैश्विक LWR पारिस्थितिकी तंत्र का लाभ उठाने के लिए आवश्यक माने जाते हैं, जबकि

भारत अन्य रिएक्टर प्रकारों में अपनी मूल विशेषज्ञता बनाए रखता है।

- शांति अधिनियम सार्वजनिक और निजी कंपनियों को परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने तथा परमाणु ईंधन, प्रौद्योगिकी, उपकरण एवं खनियों के परिवहन, भंडारण, आयात और निर्यात से संबंधित गतिविधियाँ करने की अनुमति देता है।**
- भारी जल रिएक्टरों का प्रभुत्व:** भारत का नागरिक परमाणु कार्यक्रम 220 MWe PHWR से लेकर नए 700 MWe इकाइयों तक भारी जल रिएक्टरों के निर्माण में गहरी विशेषज्ञता रखता है।
 - हालांकि, ये अब LWR के साथ सामंजस्य से बाहर होते जा रहे हैं, जो वैश्विक बाजार पर प्रभुत्वशाली हैं।

चुनौतियाँ

- सीमित स्वदेशी अनुभव:** भारत का परमाणु कार्यक्रम ऐतिहासिक रूप से PHWR और फास्ट ब्रीडर रिएक्टरों पर केंद्रित रहा है, जिससे LWR डिज़ाइन और संचालन में घरेलू विशेषज्ञता सीमित है।
- प्रौद्योगिकी पहुँच एवं IPR मुद्दे:** LWR प्रौद्योगिकियाँ कुछ देशों और कंपनियों द्वारा नियंत्रित हैं, जिससे प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, बौद्धिक संपदा अधिकार एवं स्थानीयकरण से संबंधित चुनौतियाँ उत्पन्न होती हैं।
- ईंधन आपूर्ति बाधाएँ:** LWR को संवर्धित यूरेनियम की आवश्यकता होती है, जिससे भारत आयात पर निर्भर हो जाता है और भू-राजनीतिक तथा आपूर्ति श्रृंखला की अनिश्चितताओं के प्रति संवेदनशील हो जाता है।
- उच्च पूँजीगत लागत:** LWR में उच्च प्रारंभिक लागत, लंबी परिपक्वता अवधि और वित्तपोषण चुनौतियाँ शामिल हैं, विशेषकर तब जब घरेलू आपूर्ति श्रृंखला परिपक्व न हो।
- निर्यात प्रतिस्पर्धा:** सिद्ध स्वदेशी LWR डिज़ाइन और संचालन रिकॉर्ड के बिना, भारत को वैश्विक रिएक्टर निर्यात बाजार में प्रवेश करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।

सरकारी पहल

- परमाणु ऊर्जा मिशन एवं क्षमता लक्ष्य: सरकार ने परमाणु ऊर्जा क्षमता को 2047 तक लगभग 100 GW तक विस्तारित करने के उद्देश्य से परमाणु ऊर्जा मिशन शुरू किया है।
 - इस मिशन में घरेलू क्षमताओं को बढ़ाने और LWR सहित उन्नत प्रौद्योगिकियों को अपनाने पर बल दिया गया है।
- स्वदेशी रिएक्टर विकास: जैसे कि भारत स्मॉल रिएक्टर, जो स्केलेबल तैनाती का समर्थन करने के लिए विकसित किए जा रहे हैं।
 - यद्यपि ये PHWR और SMR प्रकार हैं, ये व्यापक परमाणु नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र की नींव रखते हैं, जो भविष्य के LWR निर्माण में सहायक हो सकता है।
- अनुसंधान एवं विकास वित्तपोषण: केंद्रीय बजट 2025-26 में उन्नत परमाणु प्रौद्योगिकियों में अनुसंधान एवं विकास के लिए लगभग ₹20,000 करोड़ का महत्वपूर्ण आवंटन किया गया।
- अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एवं प्रौद्योगिकी पहुँच: सरकार अंतर्राष्ट्रीय साझेदारियों और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण तंत्र पर कार्य कर रही है, जो LWR प्रौद्योगिकियों में अनुभव अंतराल को समाप्त करने में सहायता कर सकते हैं।

भारत का त्रि-चरणीय परमाणु कार्यक्रम

- स्थापना:** भारत की परमाणु यात्रा स्वतंत्रता के तुरंत पश्चात 1948 में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना के साथ प्रारंभ हुई।
 - 1956 में एशिया का प्रथम अनुसंधान रिएक्टर 'अप्सरा' ट्रॉम्बे स्थित भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र (BARC) में चालू किया गया।
 - भारत 1969 में तारापुर में परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने वाला एशिया का दूसरा राष्ट्र बना, जापान के बाद और चीन से बहुत पहले।
- भारत का त्रि-चरणीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम डॉ. होमी जे. भाभा, जिन्हें भारत के परमाणु कार्यक्रम का जनक कहा जाता है, द्वारा परिकल्पित किया गया था।
- प्रथम चरण (प्रेशराइज्ड हेवी वाटर रिएक्टर - PHWRs):** भारत का परमाणु कार्यक्रम प्रारंभिक रूप से PHWRs की एक शृंखला स्थापित करने पर केंद्रित था।
 - ये रिएक्टर प्राकृतिक यूरेनियम (U-238) का उपयोग करते हैं, जिसमें U-235 की अत्यल्प मात्रा होती है, जिसे विखंडनीय पदार्थ माना जाता है।
 - भारी जल (ड्यूटीरियम ऑक्साइड) को संयोजक और शीतलक दोनों के रूप में प्रयोग किया जाता है।
 - इस चरण का मुख्य उद्देश्य यूरेनियम ईंधन से उप-उत्पाद के रूप में प्लूटोनियम-239 का उत्पादन करना था।
 - प्लूटोनियम-239 एक विखंडनीय पदार्थ है जिसका उपयोग परमाणु रिएक्टरों में ईंधन के रूप में किया जाता है।
- द्वितीय चरण (फास्ट ब्रीडर रिएक्टर - FBRs):**

स्रोत: IE

निःशुल्क लाभ योजनाएँ (Freebies) हाशिए पर स्थित वर्गों के कल्याण में निवेश से भिन्न हैं: सर्वोच्च न्यायालय

संदर्भ

- सर्वोच्च न्यायालय (SC) ने कल्याणकारी योजनाओं और निःशुल्क लाभों (Freebies) के बीच अंतर स्पष्ट किया है, यह कहते हुए कि व्यक्तियों को राज्य की धनराशि का बड़े पैमाने पर वितरण, जनकल्याण में निवेश से भिन्न है।

संदर्भ

- याचिकाओं के एक समूह ने न्यायिक घोषणा की मांग की है कि चुनावों के दौरान मतदाताओं को आकर्षित करने हेतु राजनीतिक दलों द्वारा दिए जाने वाले अव्यावहारिक निःशुल्क लाभों को “भ्रष्ट आचरण” माना जाए।
- सर्वोच्च न्यायालय के अवलोकन :** निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा जैसी कल्याणकारी योजनाएँ राज्य के नीति निदेशक तत्वों के अंतर्गत संवैधानिक दायित्व हैं।
 - न्यायालय ने चिंता व्यक्त की कि अनियंत्रित निःशुल्क लाभ राज्य की वित्तीय स्थिति पर दबाव डालते हैं, सार्वजनिक क्रण बढ़ाते हैं और दीर्घकालिक विकास हेतु उपलब्ध निधियों को कम करते हैं।
 - पीठ ने चेतावनी दी कि अत्यधिक निःशुल्क लाभ निर्भरता को बढ़ावा दे सकते हैं, जिससे कार्य करने और आर्थिक विकास में भागीदारी की प्रवृत्ति हतोत्साहित होती है।

निःशुल्क लाभ क्या हैं?

- निःशुल्क लाभ गैर-योग्यता आधारित, उपभोग केंद्रित सुविधाएँ हैं जो दीर्घकालिक सार्वजनिक परिसंपत्तियाँ नहीं बनातीं और सामान्यतः तात्कालिक राहत या चुनावी आकर्षण हेतु दी जाती हैं।
 - प्रायः यह प्रथा राजनीतिक दलों द्वारा जनता को निःशुल्क वस्तुएँ, सेवाएँ या सम्बिंदी प्रदान करने के रूप में अपनाई जाती है, विशेषकर चुनाव अभियानों के दौरान, मत प्राप्त करने के उद्देश्य से।
 - “रेवड़ी” शब्द का प्रयोग रूपक के रूप में किया जाता है, जो निःशुल्क उपहार बाँटने की छवि प्रस्तुत करता है।
- जनप्रतिनिधित्व अधिनियम (RP Act) की धारा 123

‘भ्रष्ट आचरण’ से संबंधित है, जिसमें कहा गया है कि यदि किसी प्रत्याशी, उसके अभिकर्ता या उनकी सहमति से कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति द्वारा मतदाताओं को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई उपहार, प्रस्ताव या संतुष्टि का वादा किया जाता है, तो इसे भ्रष्ट आचरण माना जाएगा।

निःशुल्क लाभों के पक्ष में तर्क

- सामाजिक कल्याण:** निःशुल्क लाभ आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को तात्कालिक राहत प्रदान कर सकते हैं, जिससे गरीबी और असमानता कम करने में सहायता मिलती है।
- सशक्तिकरण:** ये हाशिए पर स्थित समूहों, विशेषकर महिलाओं, छात्रों और निम्न-आय वाले परिवारों को अवसर प्रदान कर सकते हैं, जैसे निःशुल्क शिक्षा या नकद हस्तांतरण।
- उपभोग में वृद्धि:** निःशुल्क वस्तुएँ या सेवाएँ, जैसे विद्युत या गैस, उपलब्ध कराने से लोगों की आय में वृद्धि होती है, जिससे वे अन्य आवश्यकताओं पर अधिक व्यय कर सकते हैं और अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित कर सकते हैं।
- शासन हेतु प्रोत्साहन:** निःशुल्क लाभ यह मापने का साधन भी हो सकते हैं कि सरकार अपने नागरिकों की मूलभूत आवश्यकताओं को कितनी अच्छी तरह पूरा कर रही है, जो शासन की दक्षता का प्रत्यक्ष प्रतिबिंब है।

निःशुल्क लाभों के विरुद्ध तर्क

- वित्तीय भार:** निःशुल्क लाभ प्रदान करने की लागत सरकार की वित्तीय स्थिति पर दबाव डाल सकती है और दीर्घकालिक विकास परियोजनाओं जैसे अधोसंरचना, स्वास्थ्य सेवा एवं शिक्षा से संसाधनों को विचलित कर सकती है।
- निर्भरता:** निःशुल्क लाभ राज्य पर निर्भरता उत्पन्न कर सकते हैं, आत्मनिर्भरता और अधिकार संस्कृति को हतोत्साहित कर सकते हैं।
- अदक्षता:** निःशुल्क लाभ प्रायः गरीबी या आर्थिक असमानता के मूल कारणों का समाधान नहीं करते,

- बल्कि अल्पकालिक उपायों पर ध्यान केंद्रित करते हैं।
- लोकलुभावन राजनीति:** निःशुल्क लाभों का वितरण राजनीतिक दलों द्वारा मतदाताओं की भावनाओं को प्रभावित कर वोट प्राप्त करने का साधन माना जा सकता है, जिससे चुनावों और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं की निष्पक्षता प्रभावित होती है।
- अस्थिरता:** निःशुल्क लाभों की दीर्घकालिक स्थिरता संदिग्ध है, क्योंकि सरकारें ऐसी योजनाओं को बनाए रखने में कठिनाई का सामना कर सकती हैं, जिससे वित्तीय स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है या करों में वृद्धि करनी पड़ सकती है।

निःशुल्क लाभों से संबंधित महत्वपूर्ण सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय:

- एस. सुब्रमण्यम बालाजी बनाम तमिलनाडु राज्य (2013):** सर्वोच्च न्यायालय ने राजनीतिक दलों के निःशुल्क लाभ देने के अधिकार को बरकरार रखा, लेकिन यह भी कहा कि इनका वितरण जिम्मेदारीपूर्वक होना चाहिए।
 - न्यायालय ने स्पष्ट किया कि केवल व्यक्तिगत प्रत्याशी, न कि उसकी पार्टी, RP Act के अंतर्गत निःशुल्क उपहारों का वादा कर 'भ्रष्ट आचरण' कर सकता है।
- निःशुल्क लाभों पर जनहित याचिका (PIL) (2022):** इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने तत्काल कोई निर्णय नहीं दिया, बल्कि भारत निर्वाचन आयोग से इस विषय पर विचार कर सिफारिशें प्रस्तुत करने को कहा।
 - न्यायालय ने ऐसे वादों की दीर्घकालिक स्थिरता और शासन पर उनके प्रभाव को लेकर चिंता भी व्यक्त की।

आगे की राह :

- विनियमन:** सरकार स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी कर सकती है ताकि निःशुल्क लाभों का वितरण लक्षित हो और दीर्घकालिक कल्याणकारी लक्ष्यों के अनुरूप हो, न कि केवल चुनावी वादों तक सीमित।

- चुनावी सुधार:** निर्वाचन आयोग चुनावी अवधि में निःशुल्क लाभों के वितरण पर सख्त नियम लागू कर सकता है, जिससे अत्यधिक वादों को सीमित किया जा सके और चुनावों की निष्पक्षता प्रभावित न हो।
- राजकोषीय उत्तरदायित्व:** राज्यों और केंद्र सरकार को अधिक वित्तीय रूप से उत्तरदायी नीतियाँ अपनानी चाहिए ताकि कल्याणकारी योजनाएँ दीर्घकालिक रूप से सतत हों और ऋण भार न बढ़ाएँ।
- जन-जागरूकता:** जनता को निःशुल्क लाभों के प्रभावों के बारे में शिक्षित करना तथा ऐसी नीतियों की मांग को प्रोत्साहित करना जो दीर्घकालिक समाधान प्रदान करें, जैसे अधोसंरचना विकास और रोजगार सूजन, शासन को विकासोन्मुख दिशा में ले जा सकता है।

स्रोत: TH

ताइवान के आसपास चीन का सैन्य अभ्यास एवं भारत के सामरिक हित

संदर्भ

- हाल ही में चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी (PLA) ने ताइवान के आसपास 'जस्टिस मिशन-2025' नामक एक व्यापक सैन्य अभ्यास आयोजित किया।

'जस्टिस मिशन-2025' के बारे में

- यह चीन की PLA द्वारा ताइवान के आसपास किया गया एक बड़े पैमाने का सैन्य अभ्यास था।
- यह वर्ष का दूसरा प्रमुख अभ्यास था, जिसे चीन की संप्रभुता और राष्ट्रीय एकता की रक्षा के संकल्प को प्रदर्शित करने तथा ताइवान के अलगाववादी बलों एवं विदेशी हस्तक्षेप, विशेषकर अमेरिका, को चेतावनी देने के उद्देश्य से आयोजित किया गया।
- उद्देश्य :**
 - चीन की संप्रभुता और राष्ट्रीय एकता की रक्षा करना;
 - ताइवान की स्वतंत्रता की गतिविधियों को रोकना;
 - विदेशी हस्तक्षेप (विशेषकर अमेरिका और जापान से) का प्रतिरोध करना।
- यह अभ्यास ट्रम्प प्रशासन द्वारा ताइवान को प्रस्तावित

11 अरब डॉलर के हथियार सौदे से भी जुड़ा है, जिसमें स्वचालित हॉविल्जर, उन्नत रॉकेट लांचर और मिसाइल प्रणालियाँ शामिल हैं, जिनकी अमेरिकी कांग्रेस से स्वीकृति लंबित है।

मुख्य विशेषताएँ

- बहु-क्षेत्रीय फोकस :** इस अभ्यास में 'त्रि-आयामी प्रतिरोध' पर बल दिया गया — भूमि, समुद्र और वायु में समन्वित अभियान।
 - इसका उद्देश्य PLA की नाकेबंदी क्षमता, युद्ध तत्परता और समग्र श्रेष्ठता को सुदृढ़ करना था।
- वायु अभियान :** पहले दिन 130 से अधिक विमान sorties संचालित किए गए।
 - इनमें से 90 ने ताइवान स्ट्रेट की मध्य रेखा को पार किया, जो एक दुर्लभ और उत्तेजक कदम था और पूर्व की मौन सीमाओं को तोड़ता था।
- रॉकेट और मिसाइल अभ्यास :** दूसरे दिन चीन ने लंबी दूरी की रॉकेट फायरिंग की।
 - 10 रॉकेट ताइवान के सन्निकट क्षेत्र में गिरे, जो अब तक के ऐसे अभ्यासों में सबसे निकटतम दूरी थी।

भारत के सामरिक हितों पर प्रभाव

- भारत की सुरक्षा संरचना पर सामरिक प्रभाव:** भारत PLA की ताइवान के निकट गतिविधियों को चीनी सैन्य विस्तारवाद के व्यापक पैटर्न का हिस्सा मानता है। यह स्पष्ट है:
 - लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश में वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) पर PLA का आक्रामक व्यवहार, तथा
 - दक्षिण चीन सागर और पूर्वी चीन सागर में उसका आक्रामक दृष्टिकोण।
- भारत की इंडो-पैसिफिक रणनीति पर प्रभाव:** ताइवान अभ्यास भारत के इस विश्वास को सुदृढ़ करता है कि सामूहिक प्रतिरोध तंत्र आवश्यक है, विशेषकर क्वाड गठबंधन (भारत, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया) के माध्यम से।
 - यह समुद्री क्षेत्रीय जागरूकता में अधिक समन्वय

- की आवश्यकता को रेखांकित करता है।
- इससे मलाबार जैसे संयुक्त नौसैनिक अभ्यासों में तीव्रता आ सकती है, जो नाकेबंदी का सामना करने और नौवहन की स्वतंत्रता बनाए रखने पर केंद्रित हैं।
- जापान के साथ सहयोग की गहराई:** जापान ने घोषणा की है कि ताइवान पर चीनी हमला उसकी सुरक्षा के लिए खतरा होगा।
 - भारत और जापान द्विपक्षीय रक्षा और खुफिया सहयोग को तीव्र कर सकते हैं, विशेषकर भारत-जापान विशेष सामरिक एवं वैश्विक साझेदारी तथा एशिया-अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर (AAGC) जैसे ढाँचों के अंतर्गत, जो चीन की BRI का आर्थिक विकल्प है।
- समुद्री और व्यापारिक चिंताएँ:** ताइवान स्ट्रेट में किसी भी प्रकार की वृद्धि सीधे इंडो-पैसिफिक समुद्री व्यापार मार्गों को खतरे में डालती है, जिनसे भारत का 55% से अधिक व्यापार और पूर्वी एशिया से लगभग सभी ऊर्जा आयात गुजरते हैं। इससे:
 - भारत, जापान और दक्षिण कोरिया के बीच नौवहन मार्ग बाधित हो सकते हैं;
 - बीमा और मालभाड़ा लागत बढ़ सकती है; तथा
 - दक्षिण चीन सागर मार्गों पर निर्भर ऊर्जा आपूर्ति श्रृंखलाएँ प्रभावित हो सकती हैं।
- भारत की भूमिका का विस्तार:** भारतीय नौसेना का सामरिक सिद्धांत मलकका स्ट्रेट और दक्षिण चीन सागर के मार्गों में निरंतर उपस्थिति और निगरानी सुनिश्चित करने हेतु विकसित हो सकता है।
 - भारत का सिंगापुर, वियतनाम और फिलीपींस के साथ सहयोग लॉजिस्टिक समर्थन समझौतों एवं संयुक्त गश्तों के अंतर्गत बढ़ सकता है।
- चीन और ताइवान के बीच कूटनीतिक संतुलन:** भारत आधिकारिक रूप से 'वन-चाइना नीति' का पालन करता है, किंतु ताइवान के साथ उसके अनौपचारिक संबंध सुदृढ़ हुए हैं, विशेषकर सेमीकंडक्टर प्रौद्योगिकी, व्यापार और निवेश, तथा शिक्षा एवं कौशल साझेदारी

में।

- भारत की संभावित नीति रणनीतिक अस्पष्टता बनाए रखना होगी — सार्वजनिक रूप से वन-चाइना नीति की पुष्टि करते हुए, ताइवान के साथ संबंधों को गोपनीय रूप से सुदृढ़ करना।
- भारत के रक्षा आधुनिकीकरण पर प्रभाव:** PLA की संयुक्त-बल क्षमताओं का प्रदर्शन भारत के लिए अपने आधुनिकीकरण अभियान का चेतावनी संकेत है।
 - यह नेटवर्क-केंद्रित युद्ध प्रणालियों और एकीकृत त्रि-सेवा कमांड की आवश्यकता को उजागर करता है।
 - भारत की आगामी थिएटर कमांड प्रणाली PLA के संयुक्त प्रशिक्षण एकीकरण से सबक ले सकती है।
 - ताइवान के निकट PLA की लंबी दूरी की मिसाइल प्रदर्शनी भारत को अपने स्वदेशी मिसाइल कार्यक्रमों, जैसे अग्नि-V MIRV और हाइपरसोनिक प्रणालियों, को तीव्र करने के लिए प्रेरित कर सकती है।

निष्कर्ष एवं आगे की राह

- ताइवान के आसपास चीन के सैन्य अभ्यास भारत के लिए सामरिक, आर्थिक और सुरक्षा संबंधी चुनौतियाँ प्रस्तुत करते हैं। यह अमेरिका और क्वाड साझेदारों के साथ संबंधों को संतुलित करने की आवश्यकता को रेखांकित करता है, साथ ही चीन के साथ संबंधों का प्रबंधन भी आवश्यक है।
- जोखिमों में सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखलाओं में व्यवधान, क्षेत्रीय स्थिरता के लिए खतरे, और इंडो-पैसिफिक में भारत की नौसैनिक उपस्थिति को सुदृढ़ करने की आवश्यकता शामिल है।
- भारत से अपेक्षा है कि वह सावधानीपूर्ण किंतु दृढ़ दृष्टिकोण अपनाएगा, नियम-आधारित व्यवस्था का समर्थन करेगा, क्वाड साझेदारियों को गहरा करेगा, और अपनी समुद्री तथा तकनीकी क्षमता को सुदृढ़ करेगा।

स्रोत: TH

सीमा बाड़ से संबंधित मुद्दा एवं किसानों की चिंताएं

समाचार में

- केंद्र सरकार ने सिद्धांततः पंजाब में सीमा सुरक्षा बाड़ को अंतर्राष्ट्रीय सीमा (IB) के अधिक निकट स्थानांतरित करने पर सहमति व्यक्त की है।

वर्तमान स्थिति

- पंजाब पाकिस्तान के साथ 532 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है, जो कंटीली तारों से घिरी हुई है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा से इसकी दूरी कुछ फीट से लेकर 2 किलोमीटर तक भिन्न है।
- विद्युतयुक्त कंटीली तारों की बाड़ प्रथम बार 1988 में गुरदासपुर, अमृतसर और फिरोजपुर में लगाई गई थी, जिसका उद्देश्य घुसपैठ, उग्रवाद एवं पंजाब की उग्रवाद अवधि के दौरान नशीली दवाओं की तस्करी को रोकना था।

मुद्दे और चिंताएं

- लगभग 21,500 एकड़ कृषि भूमि और 10,000 एकड़ सरकारी भूमि बाड़ एवं सीमा के बीच स्थित है, जहाँ किसानों को प्रतिबंधों का सामना करना पड़ता है।
- प्रवेश केवल कुछ दिनों में कुछ घंटों तक सीमित है, जिसमें मजदूरों और ट्रैक्टरों की संख्या पर भी सीमा निर्धारित है। बीएसएफ के नियमों के अनुसार प्रत्येक ट्रैक्टर के लिए दो किसान गार्ड आवश्यक हैं, जिससे दैनिक खेत पहुँच और अधिक सीमित हो जाती है।

विभिन्न समितियों की सिफारिशें

- 1986 में गठित कपूर समिति ने उन किसानों को मुआवजा देने की सिफारिश की थी जिनकी भूमि सीमा बाड़ से परे स्थित थी।
- 1988 में प्रति एकड़ 2,500 रुपये की प्रथम भुगतान राशि दी गई थी, किंतु मुआवजा अनियमित रहा और वार्षिक रूप से प्रदान नहीं किया गया।
- 1992 में किसानों के अधिकारों का समर्थन करने हेतु बॉर्डर एरिया संघर्ष समिति का गठन किया गया, किंतु

कोई समाधान नहीं निकलता।

- वर्तमान में बाड़ छह जिलों को प्रभावित करती है, जिनमें नवगठित तरनतारन, फाजिल्का और पठानकोट भी शामिल हैं।

नवीनतम कदम का प्रभाव

- सीमा क्षेत्र के किसान लंबे समय से मांग कर रहे थे कि बाड़ को अंतर्राष्ट्रीय सीमा के अधिक निकट स्थानांतरित किया जाए, उनका तर्क था कि उन्नत निगरानी इसे संभव बनाती है।
- बार-बार प्रस्तावों के बावजूद प्रगति सीमित रही है, और वर्तमान बाड़ कृषि भूमि तक पहुँच को प्रतिबंधित करती है, जिससे विलंब होता है।
- इसे स्थानांतरित करने से पहुँच आसान होगी और हजारों एकड़ भूमि की निर्बाध खेती संभव होगी, जिससे पंजाब के सीमा क्षेत्रों के किसानों को बड़ी राहत मिलेगी।

निष्कर्ष एवं आगे की राह

- पंजाब सीमा बाड़ को अंतर्राष्ट्रीय सीमा के निकट स्थानांतरित करने का कदम किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण राहत है, जो उनकी भूमि तक सीमित पहुँच से संबंधित लंबे समय से चले आ रहे मुद्दों का समाधान करता है।
- हालाँकि, यह नए सुरक्षा संबंधी चिंताएँ भी उत्पन्न करता है, जिनके लिए सावधानीपूर्वक योजना, उन्नत प्रौद्योगिकी और केंद्र, राज्य सरकार तथा बीएसएफ के बीच घनिष्ठ समन्वय आवश्यक होगा।
- राष्ट्रीय सुरक्षा और किसानों के हितों के बीच संतुलन स्थापित करना इस पहल की सफलता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होगा।

स्रोत :IE

बॉम्बे उच्च न्यायालय द्वारा वयस्क मानव तस्करी पीड़िता की निरोधात्मक कार्रवाई निरस्त

संदर्भ

- बॉम्बे उच्च न्यायालय ने एक वयस्क महिला के विरुद्ध

पारित एक वर्ष की निरोधात्मक आदेश को निरस्त कर दिया, जिसे पुलिस छापे के दौरान अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम, 1956 (PITA) के अंतर्गत बचाया गया था।

अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम, 1956 (PITA)

- धारा 17:** PITA सख्त समयसीमाएँ निर्धारित करता है ताकि बचाव की कार्रवाई लंबी अथवा मनमानी निरोध में परिणत न हो। बचाव के तुरंत बाद:
 - यदि मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुतिकरण तुरंत संभव न हो, तो व्यक्ति को अधिकतम 10 दिनों तक अस्थायी सुरक्षित अभिरक्षा में रखा जा सकता है।
 - मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुतिकरण के बाद अन्वेषण अनिवार्य है, जिसके दौरान अंतरिम अभिरक्षा तीन सप्ताह तक जारी रह सकती है।
- दीर्घकालिक स्थानांतरण (1-3 वर्ष):** केवल तभी अनुमेय है जब मजिस्ट्रेट यह दर्ज करे कि व्यक्ति “देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता” में है।
- संरक्षण गृह बनाम सुधारात्मक संस्था:**
 - संरक्षण गृह (धारा 2(ग)):** इसका उद्देश्य तस्करी के पीड़ितों की देखभाल, पुनर्वास और सहयोग प्रदान करना है।
 - सुधारात्मक संस्था (धारा 2(ख) सहपठित धारा 10A):** यह विशेष रूप से उन अपराधियों के लिए है जिन्हें PITA के अंतर्गत दोषसिद्ध किया गया है। इसमें दोषसिद्ध के बाद सुधार हेतु निरोध शामिल है।

न्यायालय के प्रमुख अवलोकन :

- PITA पीड़ितों के प्रति दंडात्मक नहीं है:** अधिनियम का उद्देश्य यौन शोषण और तस्करी को रोकना है, न कि पीड़ितों को दंडित करना।
- व्यक्तिगत स्वतंत्रता सर्वोपरि है:** किसी भी प्रतिबंध को संविधान के अनुच्छेद 19 और 21 मानकों के अनुरूप होना आवश्यक है।
- मौलिक स्वतंत्रताएँ निलंबित नहीं होतीं:** केवल इसलिए कि कोई व्यक्ति तस्करी का शिकार हुआ है, उसकी स्वतंत्रता समाप्त नहीं की जा सकती।

- गरीबी, आजीविका का अभाव या परिवार/संरक्षक का न होना: ये परिस्थितियाँ राज्य के सहयोग और पुनर्वास की आवश्यकता को उचित ठहरा सकती हैं, किंतु वयस्क की व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित करने का कानूनी आधार नहीं बन सकती।
- वयस्कों के लिए सहमति केंद्रीय है: एक बार जब वयस्क स्पष्ट रूप से संरक्षण गृह छोड़ने की इच्छा व्यक्त करता है, तो निरंतर अभिरक्षा देखभाल नहीं बल्कि निरोध बन जाती है।
- स्थापित प्रमुख विधिक सिद्धांत : “PITA 1956 यौन शोषण के पीड़ित को दंडित करने हेतु नहीं बनाया गया था।
 - पीड़ित को केवल इस आधार पर अनुचित प्रतिबंधों के अधीन नहीं किया जा सकता कि वह पुनः अनैतिक कृत्यों में संलग्न हो सकती है।”

आगे की राह :

- गैर-निरोधात्मक सहयोग को सुटूड़ करना: समुदाय-आधारित पुनर्वास तक पहुँच का विस्तार करना, जिसमें अस्थायी आश्रय, परामर्श, विधिक सहायता और कौशल विकास शामिल हों, बिना अनिवार्य संस्थागतकरण के।
- कानून प्रवर्तन की क्षमता निर्माण: पुलिस और न्यायिक अधिकारियों को पीड़ित-केंद्रित और संवैधानिक दृष्टिकोण अपनाने हेतु प्रशिक्षित करना, नैतिकतावादी या पितृसत्तात्मक धारणाओं से बचते हुए।
- जीवित बचे व्यक्तियों के लिए विधिक जागरूकता: बचाए गए व्यक्तियों में उनके विधिक अधिकारों, विकल्पों और उपलब्ध सहयोग तंत्रों के प्रति जागरूकता बढ़ाना, ताकि वे सूचित निर्णय ले सकें।

स्रोत: IE

सीमेंट, एल्यूमिनियम और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (MSME) क्षेत्रों में हरित संक्रमण पर नीति आयोग की रिपोर्ट

संदर्भ

- नीति आयोग ने सीमेंट, एल्यूमिनियम और सूक्ष्म, लघु एवं

मध्यम उद्यम (MSME) क्षेत्रों के लिए डीकार्बोनाइजेशन (कार्बन उत्सर्जन में कमी) रोडमैप प्रस्तुत करते हुए तीन रिपोर्टें जारी की हैं।

सीमेंट क्षेत्र का डीकार्बोनाइजेशन

- संवृद्धि:** सीमेंट उत्पादन 2023 में 391 मिलियन टन से बढ़कर 2070 तक लगभग 2,100 मिलियन टन होने का अनुमान है, जो भारत की अधोसंरचना और शहरीकरण आवश्यकताओं को दर्शाता है।
- भारत, चीन के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सीमेंट उत्पादक है, जो वैश्विक वार्षिक उत्पादन का लगभग 13% योगदान करता है।
- यह क्षेत्र भारत के कुल ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन का लगभग 7% योगदान करता है।
- डीकार्बोनाइजेशन लक्ष्य :** रोडमैप का उद्देश्य वर्तमान में प्रति टन सीमेंट 0.63 tCO₂ की कार्बन तीव्रता को 2070 तक घटाकर 0.09–0.13 tCO₂ प्रति टन करना है।
- मुख्य डीकार्बोनाइजेशन रणनीतियाँ :**
 - कोयले पर निर्भरता कम करने हेतु अपशिष्ट-उत्पन्न ईंधनों (RDF) को प्राथमिकता प्रदान करना।
 - पूरक सीमेंट्युक्त पदार्थों के अधिक उपयोग के माध्यम से क्लिंकर प्रतिस्थापन।
 - अवशिष्ट प्रक्रिया उत्सर्जन के लिए कार्बन कैप्चर, उपयोग और भंडारण (CCUS) का विस्तार।
 - न्यून-कार्बन उत्पादन को प्रोत्साहित करने हेतु कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग योजना (CCTS) का प्रभावी क्रियान्वयन।

एल्यूमिनियम क्षेत्र का डीकार्बोनाइजेशन

- उत्पादन परिवृद्धि :** एल्यूमिनियम उत्पादन 2023 में 4 मिलियन टन से बढ़कर 2070 तक 37 मिलियन टन होने का अनुमान है।
- चरणबद्ध डीकार्बोनाइजेशन मार्ग :**
 - लघु अवधि :** नवीकरणीय ऊर्जा-निरंतर (RE-RTC) विद्युत आपूर्ति की ओर संक्रमण तथा ग्रिड

संपर्कता एवं विश्वसनीयता को सुदृढ़ करना।

- **मध्यम अवधि** : स्थिर, कम-कार्बन बेसलोड बिजली हेतु परमाणु ऊर्जा का अपनाना।
- **दीर्घ अवधि** : शेष उत्सर्जन को नियंत्रित करने हेतु CCUS का एकीकरण।

MSME क्षेत्र का डीकार्बोनाइजेशन

- **आर्थिक महत्व** : MSMEs भारत के GDP में लगभग 30% योगदान करते हैं, 250 मिलियन से अधिक लोगों को रोजगार प्रदान करते हैं और भारत के निर्यात का लगभग 46% हिस्सा हैं।
- **हरित संक्रमण रोडमैप के तीन प्रमुख आधार** :
 - ऊर्जा-क्षम उपकरणों का उपयोग कर ऊर्जा तीव्रता को कम करना।
 - वैकल्पिक ईंधनों को अपनाकर जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता घटाना।
 - नवीकरणीय ऊर्जा की खरीद और स्व-उत्पादन के माध्यम से हरित विद्युत का एकीकरण।

भारत द्वारा उठाए गए कदम

- **उद्योग पंजीकरण एवं MSME सतत (ZED) प्रमाणन**: MSMEs में संसाधन दक्षता, ऊर्जा दक्षता और स्वच्छ उत्पादन पद्धतियों को बढ़ावा देना।
- **प्रदर्शन, उपलब्धि और विनिमय (PAT) योजना**: राष्ट्रीय ऊर्जा दक्षता संबर्धन मिशन के अंतर्गत प्रमुख पहल, जो सीमेंट जैसे ऊर्जा-गहन उद्योगों को विशिष्ट ऊर्जा खपत में कमी के लक्ष्य निर्धारित करती है।
- **राष्ट्रीय स्मार्ट ग्रिड मिशन एवं ग्रीन ओपन एक्सेस नियम (2022)**: ऊर्जा-गहन उद्योगों और MSMEs के लिए नवीकरणीय ऊर्जा की खरीद को सुगम बनाना।
- **भारत की कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग योजना (CCTS)**: सीमेंट और एल्यूमिनियम जैसे भारी उद्योगों में उत्सर्जन कम करने हेतु बाजार तैयार करना, जिसमें अनिवार्य तीव्रता लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं, लक्ष्य से अधिक प्रदर्शन करने वालों को कार्बन क्रेडिट प्रमाणपत्र (CCCs) प्रदान किए जाते हैं और कम-कार्बन प्रौद्योगिकी में नवाचार को प्रोत्साहित किया जाता है।

हरित संक्रमण में चुनौतियाँ

- **कठिन-से-नियंत्रित उत्सर्जन**: चूना पत्थर कैल्सिनेशन से उत्पन्न सीमेंट प्रक्रिया उत्सर्जन और विद्युत -गहन एल्यूमिनियम स्मेलिंग केवल नवीकरणीय ऊर्जा से नियंत्रित नहीं हो सकते।
- **उच्च पूंजी लागत**: CCUS, RE-RTC ऊर्जा और परमाणु एकीकरण जैसी तकनीकों हेतु बड़े प्रारंभिक निवेश एवं लंबी वापसी अवधि की आवश्यकता होती है।
- **हरित वित्तीय बाधाएँ**: MSMEs को सस्ती ऋण तक सीमित पहुँच, कमजोर बैलेंस शीट और उच्च उधारी लागत का सामना करना पड़ता है।
- **स्वच्छ ऊर्जा उपलब्धता**: विश्वसनीय निरंतर नवीकरणीय ऊर्जा की अनुपलब्धता तथा ग्रिड संबंधी बाधाएँ गहन डीकार्बोनाइजेशन में अवरोध उत्पन्न करती हैं।

आगे की राह

- **हरित वित्त का विस्तार**: मिश्रित वित्त, क्रेडिट गारंटी और रियायती ऋण का विस्तार करना, विशेषकर MSMEs के लिए।
- **प्रौद्योगिकी विकास और स्थानीयकरण**: स्वच्छ औद्योगिक प्रौद्योगिकियों के घरेलू निर्माण में तीव्रता लाना।
- **कार्बन बाजारों को सुदृढ़ करना**: कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग योजना का पारदर्शी और विश्वसनीय क्रियान्वयन सुनिश्चित करना।

स्रोत: PIB

संक्षिप्त समाचार

गोल्डीलॉक्स अर्थव्यवस्था

समाचार में

- भारत का 2025 का कृषि वर्ष दुर्लभ “गोल्डीलॉक्स” संयोजन से लाभान्वित हुआ, जिसमें अधिशेष मानसूनी वर्षा और मध्यम तापमान शामिल थे। इसके विपरीत

2024, जो रिकॉर्ड पर सबसे गर्म वर्ष था, अच्छे मानसून के बावजूद ऐसा लाभ नहीं दे सका।

गोल्डीलॉक्स अर्थव्यवस्था

- यह संतुलित विकास, निम्न मुद्रास्फीति और पूर्ण रोजगार की आदर्श किंतु अस्थायी स्थिति है, जिसे स्थिर ब्याज दरों का समर्थन प्राप्त होता है।
- यह निवेश, विशेषकर इकिवटी में, के लिए अनुकूल वातावरण प्रदान करती है।
- इसे सावधानीपूर्वक मौद्रिक और राजकोषीय नीतियों के माध्यम से बनाए रखा जाता है, जिसमें केंद्रीय बैंक विकास एवं मुद्रास्फीति के बीच संतुलन स्थापित करने में प्रमुख भूमिका निभाते हैं।

भारत के आँकड़े

- 2025 में सामान्य तापमान और प्रचुर वर्षा ने कृषि उत्पादन में सुदृढ़ पुनरुत्थान किया, जिससे 2023–24 में उच्च स्तर पर रही खाद्य मुद्रास्फीति नकारात्मक क्षेत्र में चली गई।
- जल की उच्च उपलब्धता और अनुकूल परिस्थितियों ने रबी बुवाई को रिकॉर्ड स्तर तक पहुँचाया। अधिकांश फसलें, जैसे गेहूँ एवं आलू, अच्छा प्रदर्शन कर रही हैं, यद्यपि सरसों में कुछ कीट समस्याएँ हैं।
- बड़े घरेलू अनाज भंडार और रिकॉर्ड वैश्विक फसल उत्पादन ने खाद्य कीमतों को निम्न बनाए रखने में सहयोग दिया है, जिससे चरम मौसम की स्थिति को छोड़कर खाद्य मुद्रास्फीति की वापसी की संभावना कम है।

स्रोत: IE

राज्यपाल का सदन को संबोधित करने और संदेश भेजने का अधिकार

संदर्भ

- हाल ही में केरल के मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि राज्यपाल ने विधानसभा में अपने नीति भाषण को बदल दिया या प्रमुख अनुच्छेदों को हटा दिया, विशेषकर वे अनुच्छेद जो राज्य की वित्तीय कठिनाइयों, लंबित विधेयकों और कर अपवर्तन से संबंधित थे।

राज्यपाल

- अनुच्छेद 153 और 154 के अंतर्गत राज्यपाल राज्य का कार्यकारी प्रमुख होता है, जो कार्यकारी अधिकार स्वयं या अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से प्रयोग करता है।
- सामान्यतः अनुच्छेद 163 के अंतर्गत राज्यपाल मंत्रिपरिषद की सहायता और परामर्श पर कार्य करता है, जैसे कि विधानमंडल को बुलाना या स्थगित करना, विधेयकों को स्वीकृति देना, अध्यादेश जारी करना और मंत्रियों की नियुक्ति करना।
- किंतु कुछ मामलों में—जैसे अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति को रिपोर्ट भेजना या अनुच्छेद 254(2) के अंतर्गत विधेयकों को राष्ट्रपति के विचारार्थ सुरक्षित रखना—राज्यपाल अपने विवेक से कार्य कर सकता है।

राज्यपाल की भाषण संबंधी शक्तियाँ

- संविधान के अनुच्छेद 175 और 176 राज्यपाल के राज्य विधानमंडल से संचार को रेखांकित करते हैं।
- अनुच्छेद 175 राज्यपाल को राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन को संबोधित करने और सदस्यों की उपस्थिति सुनिश्चित करने का अधिकार देता है। राज्यपाल किसी भी विषय पर, जिसमें लंबित विधेयक भी शामिल हैं, संदेश भेज सकता है, जिन्हें शीघ्र विचार करना आवश्यक है।
- अनुच्छेद 176 राज्यपाल को विशेष संबोधन देने का प्रावधान करता है, जो विधानसभा के आम चुनाव के बाद प्रथम सत्र और प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के प्रारंभ में अनिवार्य है।

स्रोत: TH

गाज़ा के लिए शांति बोर्ड

समाचार में

- भारत सरकार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के प्रस्तावित गाज़ा शांति बोर्ड में शामिल होने के निमंत्रण पर अपनी प्रतिक्रिया पर विचार कर रही है।

शांति बोर्ड

- यह एक अंतर्राष्ट्रीय निकाय है, जिसकी अध्यक्षता अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प कर रहे हैं। इसे अक्टूबर

2025 में इजराइल-हमास युद्धविराम की देखरेख और गाज़ा के युद्धोत्तर संक्रमण को प्रबंधित करने हेतु बनाया गया।

- इस पहल का प्रस्ताव अक्टूबर 2025 में रखा गया और आगामी माह संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा अनुमोदित किया गया।

सदस्य

- लगभग 50 आमंत्रित नेताओं में से 35 वैश्विक नेताओं ने प्रस्तावित शांति बोर्ड में शामिल होने पर सहमति व्यक्त की है।
- प्रतिभागियों में प्रमुख मध्य-पूर्वी सहयोगी जैसे इजराइल, सऊदी अरब, यूएई, बहरीन, जॉर्डन, क्रतर और मिस्र शामिल हैं, साथ ही NATO सदस्य तुर्की और हंगरी भी। एशिया, अफ्रीका, यूरोप एवं लैटिन अमेरिका के कई अन्य देश—जैसे पाकिस्तान, इंडोनेशिया, वियतनाम, मोरक्को, आर्मेनिया और अज़रबैजान—भी शामिल हुए हैं।
- सदस्यता की अवधि तीन वर्ष होगी, जिसे नवीनीकरण का विकल्प दिया जाएगा।
- जो देश प्रारंभिक अवधि से आगे भागीदारी बढ़ाना चाहेंगे, उन्हें \$1 बिलियन का योगदान करना पड़ सकता है, जबकि अल्पकालिक भागीदारी में कोई वित्तीय प्रतिबद्धता नहीं होगी।

अधिदेश

- बोर्ड गाज़ा पट्टी में एक संक्रमणकालीन फ़िलिस्तीनी तकनीकी प्रशासन की देखरेख करेगा, जिसे गाज़ा के प्रशासन के लिए राष्ट्रीय समिति (NCAG) कहा जाएगा।
- बोर्ड का अधिदेश हमास को निरस्त करने और अंतर्राष्ट्रीय स्थिरीकरण बल (ISF) की तैनाती की देखरेख करना भी शामिल है। यह एक बहुराष्ट्रीय शांति मिशन होगा, जिसका कार्य सुरक्षा बनाए रखना और नई फ़िलिस्तीनी पुलिस बल को प्रशिक्षित करना होगा।

स्रोत: ET

कैबिनेट द्वारा अटल पेंशन योजना (APY) के निरंतरता को स्वीकृति प्रदान

संदर्भ

- प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अटल पेंशन योजना (APY) को वित्त वर्ष 2030-31 तक जारी रखने की स्वीकृति दी है, साथ ही प्रचार-प्रसार, विकासात्मक गतिविधियों और अंतर वित्तपोषण के लिए धनराशि समर्थन का विस्तार किया है।

अटल पेंशन योजना (APY) के बारे में

- प्रारंभ :** APY को 2015 में असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को वृद्धावस्था आय सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू किया गया था।
- लक्षित समूह:** प्रारंभ में यह योजना 18 से 40 वर्ष आयु वर्ग के सभी भारतीय नागरिकों के लिए उपलब्ध थी।
 - 1 अक्टूबर 2022 से आयकर दाता इस योजना में शामिल होने के पात्र नहीं हैं।
- योजना की विशेषताएँ :** APY 60 वर्ष की आयु से प्रति माह ₹1,000 से ₹5,000 तक की न्यूनतम पेंशन की गारंटी देता है, जो योगदान पर आधारित है।
- प्रशासनिक निकाय :** इसे पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA) द्वारा प्रशासित किया जाता है।
 - यह राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) ढाँचे के अंतर्गत संचालित है।
- प्रगति :** जनवरी 2026 तक 8.66 करोड़ से अधिक ग्राहकों को शामिल किया गया है, जिससे APY भारत की समावेशी सामाजिक सुरक्षा संरचना का आधारस्तंभ बन गया है।
- विस्तार की आवश्यकता :** योजना की स्थिरता सुनिश्चित करने हेतु निरंतर सरकारी समर्थन आवश्यक है, ताकि जागरूकता, क्षमता निर्माण और व्यवहार्यता अंतर को समाप्त करने का कार्य जारी रह सके।

स्रोत: PIB

कलाड़ी को उन्नत खाद्य प्रौद्योगिकियों के माध्यम से विकसित किया जाएगा

संदर्भ

- विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री ने जम्मू एवं कश्मीर के उथमपुर ज़िले के पारंपरिक दुध उत्पाद कलाड़ी को उन्नत करने का निर्देश दिया है।
 - यह पहल वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट (ODOP) योजना के अनुरूप है, जिससे मूल्य संवर्धन सुनिश्चित हो सके।

कलाड़ी के बारे में

- कलाड़ी एक पारंपरिक दुध उत्पाद है, जिसे कच्चे पूर्ण-वसा दूध से बनाया जाता है और इसमें मट्टा जल (whey water) का उपयोग जमावटकारी (coagulant) के रूप में किया जाता है।
- यह अपने दुधीय स्वाद, खिंचावदार बनावट और मुलायम अनुभव के लिए प्रसिद्ध है, जिसे प्रायः “जम्मू का मोत्तारेला” कहा जाता है।
- इसे भौगोलिक संकेतक (GI) टैग प्राप्त हुआ है, जिससे इसकी आर्थिक और सांस्कृतिक महत्ता बढ़ी है।

मुख्य चुनौतियाँ

- बहुत कम शेल्फ-लाइफ, विशेषकर गैर-शीतित परिस्थितियों में, जिससे व्यापक बाजार तक पहुँच सीमित होती है।
- मानकीकृत प्रसंस्करण विधियों का अभाव, क्योंकि इसकी तैयारी विभिन्न क्षेत्रों में भिन्न होती है।
- पैकेजिंग, संरक्षण और विस्तार क्षमता में बाधाएँ, बिना पारंपरिक विशेषताओं को बदलते।

स्रोत: PIB

जापान द्वारा काशिवाज़ाकी-कारिवा परमाणु ऊर्जा संयंत्र पुनः प्रारंभ

संदर्भ

- जापान ने 2011 फुकुशिमा आपदा के बाद प्रथम बार विश्व के सबसे बड़े परमाणु ऊर्जा संयंत्र काशिवाज़ाकी-कारिवा को पुनः चालू किया है।

- प्रारंभ में केवल एक रिएक्टर को पुनः प्रारंभ किया जाएगा, जबकि शेष इकाइयों के लिए अलग-अलग अनुमोदन आवश्यक होंगे।

परिचय

- स्थान :** यह संयंत्र जापान के निइगाता प्रीफेक्चर (होंशू द्वीप) के काशिवाज़ाकी और कारिवा नगरों में जापान सागर के तट पर स्थित है।
- क्षमता :** लगभग 8,200 मेगावाट, जिससे यह विश्व का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र है।
- संचालक :** टोक्यो इलेक्ट्रिक पावर कंपनी (TEPCO)।

जापान का परमाणु ऊर्जा पर ध्यान

- जापान चीन, अमेरिका, भारत और रूस के बाद विश्व का पाँचवाँ सबसे बड़ा कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जक है तथा आयातित जीवाश्म ईंधनों पर अत्यधिक निर्भर है।
 - 2023 में जापान की लगभग 70% विद्युत की आवश्यकता कोयला, गैस और तेल से चलने वाले संयंत्रों द्वारा पूरी की गई।
- 2011 के भूकंप और सुनामी से पहले परमाणु ऊर्जा जापान की लगभग एक-तिहाई विद्युत उत्पन्न करती थी।
 - फुकुशिमा के बाद लगाए गए सख्त सुरक्षा मानकों के पश्चात पश्चिमी और दक्षिणी क्षेत्रों में 14 रिएक्टरों ने पुनः संचालन प्रारंभ किया है।
- जापान का लक्ष्य 2040 तक नवीकरणीय ऊर्जा को शीर्ष ऊर्जा स्रोत बनाना है।
 - योजना के अंतर्गत 2040 तक परमाणु ऊर्जा जापान की कुल ऊर्जा आपूर्ति का लगभग 20% होगी, जो 2022 में 5.6% थी।

स्रोत: TH

C-295 विमान

समाचार में

- एयरबस-टाटा वडोदरा असेंबली लाइन से प्रथम ‘मेड इन इंडिया’ C-295 विमान सितंबर 2026 से पहले तैयार हो जाएगा, जो भारत-स्पेन रक्षा सहयोग की गहराई को दर्शाता है।

C-295 के बारे में

- यह एक बहुउद्देशीय, विश्वसनीय सामरिक परिवहन विमान है, जो सैनिकों/कार्गों परिवहन, समुद्री गश्त, निगरानी, चिकित्सीय निकासी और अग्निशमन में सक्षम है।
- यह 8 टन तक का भार या 70 सैनिकों को ले जा सकता है, 260 नॉट्स की गति से उड़ान भरता है और छोटे, कच्चे रनवे से भी संचालित हो सकता है।
- इसमें 13 घंटे की सहनशीलता, उत्कृष्ट संचालन क्षमता और ईंधन दक्षता है।
- एयरबस C-295 (पूर्व में CASA C-295) एक मध्यम दूरी का ट्रिविन-इंजन टर्बोप्रॉप सामरिक परिवहन विमान है, जिसे प्रारंभ में स्पेन की एयरोस्पेस कंपनी CASA द्वारा डिजाइन और निर्मित किया गया था, जो अब यूरोपीय बहुराष्ट्रीय एयरबस रक्षा और अंतरिक्ष का भाग है।

भारत के समझौते

- 2021 में भारत ने एयरबस डिफेंस एंड स्पेस के साथ ₹21,935 करोड़ का समझौता किया था, जिसके अंतर्गत 56 C-295 विमान खरीदे जाने थे।
- समझौते के अनुसार, एयरबस को चार वर्षों में सेविल, स्पेन की अंतिम असेंबली लाइन से पहले 16 विमान 'फ्लाई-अवे' स्थिति में देने थे और शेष 40 विमान भारत में टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स लिमिटेड द्वारा निर्मित किए जाने थे।

स्रोत: TH

मोजाम्बिक की अधिकार कार्यकर्ता को इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार

संदर्भ

- मोजाम्बिक की अधिकार कार्यकर्ता और मानवतावादी ग्रासा माशेल को 2025 के लिए इंदिरा गांधी शांति, निरस्त्रीकरण और विकास पुरस्कार हेतु चुना गया है, जिसकी घोषणा इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट द्वारा की गई।
- सुश्री माशेल को शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण,

आर्थिक सशक्तिकरण एवं मानवीय कार्यों के क्षेत्र में उनके "पथ-प्रदर्शक कार्य" के लिए चुना गया है।

पुरस्कार के बारे में

- यह एक वार्षिक पुरस्कार है, जिसे भारत में इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट द्वारा स्थापित किया गया है।
- यह पुरस्कार भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की समृति में 1986 में प्रारंभ किया गया था।
- यह उन व्यक्तियों या संगठनों को प्रदान किया जाता है जिन्होंने अंतरराष्ट्रीय समझ और शांति को बढ़ावा देने, नए अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था के विकास एवं लोकतंत्र को सुदृढ़ करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।
- इस पुरस्कार में ₹1 करोड़ की नकद राशि, एक प्रशस्ति पत्र और एक ट्रॉफी शामिल होती है।
- श्रेणियाँ
 - शांति** : अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने और बनाए रखने के प्रयासों को मान्यता।
 - निरस्त्रीकरण** : सामूहिक विनाश के हथियारों को कम करने और समाप्त करने में योगदान की मान्यता।
 - विकास** : आर्थिक और सामाजिक विकास को बढ़ावा देने वाले कार्यों को सम्मान।
- पुरस्कार समारोह** : यह समारोह सामान्यतः 19 नवंबर को आयोजित होता है, जो इंदिरा गांधी की जयंती है।

स्रोत: TH

इज़राइल द्वारा वेस्ट बैंक चौकी नए बस्ती के रूप में पूर्णतः वैध

संदर्भ

- इज़राइल ने वेस्ट बैंक की एक चौकी को यात्ज़िव नामक नई बस्ती के रूप में पूर्णतः वैध कर दिया है।

परिचय

- नव वैधीकृत यहूदी बस्ती यात्ज़िव वेस्ट बैंक में फ़िलिस्तीनी नगर बेइत सहौर के समीप स्थित है।
- यात्ज़िव की मान्यता निवासियों और स्थानीय नेताओं द्वारा वर्षों के समर्थन के बाद प्रदान की गई।

- यात्जिव की स्थापना उस समय हुई है जब बस्ती नीति पर चल रही परिचर्चा इजराइल-फ़िलिस्तीन संबंधों में एक केंद्रीय मुद्दा बनी हुई है।

वेस्ट बैंक

- वेस्ट बैंक जॉर्डन नदी के पश्चिम में स्थित है, जिसकी सीमाएँ पश्चिम में इजराइल, पूर्व में जॉर्डन और दक्षिण-पश्चिम में यरूशलेम से लगती हैं।
- प्रमुख नगरों में रामल्ला (फ़िलिस्तीनी प्राधिकरण की प्रशासनिक राजधानी), हेब्रोन, नब्लस, जेनिन और बेथलहम शामिल हैं।



ऐतिहासिक घटनाएँ

- 1948:** अरब-इजराइल युद्ध के बाद वेस्ट बैंक पर जॉर्डन ने नियन्त्रण कर लिया और बाद में (1949–1967) इसे स्वयं में मिला लिया।
- 1967:** छह-दिवसीय युद्ध के दौरान इजराइल ने वेस्ट बैंक को जॉर्डन से आधिपत्य स्थापित कर लिया और तब से यह विभिन्न स्तरों पर इजराइली नियंत्रण में है।
- 1993–1995 ओस्लो समझौते (Oslo Accords):** इन समझौतों ने फ़िलिस्तीनी प्राधिकरण (PA) का गठन किया और वेस्ट बैंक को तीन क्षेत्रों में विभाजित किया:
 - क्षेत्र A:** पूर्ण फ़िलिस्तीनी नागरिक और सुरक्षा नियंत्रण।
 - क्षेत्र B:** फ़िलिस्तीनी नागरिक नियंत्रण और संयुक्त इजराइली-फ़िलिस्तीनी सुरक्षा।
 - क्षेत्र C:** पूर्ण इजराइली नियंत्रण (लगभग 60% वेस्ट बैंक)।
- फ़िलिस्तीनी, वेस्ट बैंक (जिसे इजराइल ने 1967 में

कब्जा किया था) को भावी राज्य का भाग मानते हैं।

स्रोत: TH

तांत्या मामा भील

संदर्भ

- जनजातीय गैरव दिवस पर खरगोन में जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी तांत्या मामा भील की प्रतिमा की स्थापना प्रशासन के लिए असहज स्थिति का कारण बनी, क्योंकि नियोजित संगमरमर या धातु की प्रतिमा के स्थान पर फाइबर-रीइन्फोर्स्ड पॉलिमर (FRP) की प्रतिमा स्थापित कर दी गई।

तांत्या मामा भील के बारे में

- जन्म:** 1840, बड़डा गाँव, खंडवा ज़िला (मध्य प्रदेश)।
- मूल नाम:** तांत्या भील।
- उन्हें “तांत्या” नाम (अर्थात् योद्धा) ब्रिटिश शासन के विरुद्ध उनके प्रारंभिक प्रतिरोध के कारण मिला।
- प्रेरणा:** उन्होंने 1857 के विद्रोह के नेता तात्या टोपे को आदर्श माना और उनसे गुरिल्ला युद्धकला अपनाई।
- तांत्या भील ने ब्रिटिश लक्ष्यों, जिनमें रेलगाड़ियाँ भी शामिल थीं, पर तीव्र हमले किए और लूटी गई संपत्ति गरीबों में बाँट दी, जिससे उन्हें “रॉबिन हुड” जैसी छवि मिली।
- उनकी त्वरित हमला करने और तुरंत गायब हो जाने की क्षमता ने उन्हें ब्रिटिश प्रशासन के लिए स्थायी चुनौती बना दिया।
- सशस्त्र प्रतिरोध से परे, उन्होंने गरीबों की सहायता, महिलाओं की मदद, निर्धन कन्याओं के विवाह की व्यवस्था और संकट के समय जनता के साथ खड़े होकर महत्वपूर्ण सामाजिक भूमिका निभाई। जनता से इस गहरे जुड़ाव ने उन्हें “मामा” (चाचा/अंकल) की उपाधि दिलाई।

शहादत : 4 दिसंबर 1889 को ब्रिटिशों ने तांत्या भील को फाँसी दे दी। बाद में उनका शव खंडवा रेलवे लाइन पर पातालपानी स्टेशन के समीप फेंक दिया गया।

क्या आप जानते हैं?

- मध्य प्रदेश की जनसंख्या में जनजातीय समुदाय लगभग 21% है, जो भारतीय राज्यों में सबसे अधिक है।
- तांत्या भील भील समुदाय से थे, जो राज्य की 1.53 करोड़ जनजातीय जनसंख्या का लगभग 40% हिस्सा है।

स्रोत: IE

























































